अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

खेमाराम   बनाम   तोलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील सं0   33/2019   धारा–75 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.7.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई है । यह अपील तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 4.7.18 की पालना में सरपंच, ग्राम पंचायत, दियातरा (कोलायत) द्वारा ग्राम खेतोलाई तहसील कोलायत के स्वीकृत किये गये खोलानामा नामान्तरकरण सं0 550 दिनांक 20.7.18 के विरुध्द धारा–96सीपीसी प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में क्षेत्राधिकार बिन्दु पर अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि ग्राम खेतोलाई बुर्ज में खसरा नं0 26/2 में 99 बीघा भूमि में से पेमाराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार निवासी दियातरा ने अपने हिस्से की 16.17 बीघा भूमि दिनांक 15.9.93 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपीलान्ट को जरिये दस्तावेज बैयनामा विक्रय कर दिया व मौके पर कब्जा भी अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया तथा अपीलान्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है । पेमाराम पुत्र रामूराम द्वारा रकबा बेचान करने के उपरान्त आराजी मुतनाजा में समस्त हित अधिकार समाप्त हो चुके हैं तथा बैयनामा दिनाक 15.4.93 किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं है, आज भी स्टैण्ड करता है। यह कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 10 ने तथ्यों को छुपा कर तहसीलदार भू.अ. कोलायत से आदेश दिनांक 4.7.18 पारित करवाकर गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण सं0 550 दिनांक 20.7.18 ग्राम पंचायत दियातरा से स्वीकृत करवा लिया । यह कि विवादित भूमि के बाबत दावा चल रहा है । अपीलार्थी नामान्तरकरण सं0 550 से व्यथित एवं पीड़ित है एवं विवादित होने से इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की है । राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहू का कथन है कि यह अपील तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 4.7.18 की पालना में सरपंच, ग्राम पंचायत, दियातरा (कोलायत) द्वारा ग्राम खेतोलाई तहसील कोलायत के स्वीकृत किये गये खोलानामा नामान्तरकरण सं0 550 दिनांक 20.7.18 के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । इस न्यायालय को निदेशक भू0अ0 की शक्तियां प्रदत्त है, जिसमें तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश भू.अ. अधिकारी की हैसियत से धारा 135(2) के अन्तर्गत डिस्पुटेड/कन्टेस्टेड होना आवश्यक है । जबकि तहसीलदार कोलायत द्वारा गोदनामा का जो आदेश पारित किया गया है, वह इकतरफा आदेश है, जिसमें कोई कन्टेस्ट नहीं हुआ है । अतः प्रस्तुत अपील धारा 75(एफ) में कवर नहीं होने इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है । हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया । न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तियां प्रदत्त है, जिसमें धारा 75 एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्न प्रकार से प्रावधान दिया हुआ है :– First Appeals Section 75(F) : to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matter connected with land records. 1	

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.7.18 एवं पालना में सरपंच, ग्राम पंचायत दियातरा द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं0 550 दिनांक 20.7.18 के विरुध्द यह अपील प्रस्तुत की गयी है । निदेशक भू0अ0 के समक्ष भू–अभिलेख अधिकारी के मूल आदेश के विरुध्द अपील प्रस्तुत करने प्रावधान दिये हुए हैं, जिनमें तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से कन्टेस्ट प्रकरण में आदेश पारित किया जाना आवश्यक है । जबकि तहसीलदार कोलायत द्वारा पारित किये गये आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में तोलाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार द्वारा गोदनामा की प्रति प्रस्तुत कर गोदनामा अनुसार नामान्तरकरण वारिसान की हैसियत से नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर गोदनामा के सम्बन्ध में विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र दिनांक 29.5.18 में प्रकाशन करवाया जाकर आपत्ति मांगी गयी । किन्तु निर्धारित मियाद में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई । जिस पर तहसीलदार कोलायत द्वारा आदेश दिनांक 4.7.18 पारित कर प्रस्तुत गोदनामा अनुसार वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु ग्रम पंचायत दियातरा को आदेश दिया तथा ग्राम पंचायत दियातरा द्वारा आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं0 550 दिनांक 20.7.18 स्वीकृत किया गया है । न्यायालय के अनुसार तहसीलदार भू.अ. कोलायत द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 4.7.18 कन्टेस्ट प्रकरण की श्रेणी का नहीं होने से धारा 135(2) भू.अ. अधिकारी का आदेश नहीं होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.18 एवं पालना में दर्ज नामान्तरकरण के विरुध्द प्रस्तुत यह मूल अपील आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभिभाषक अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Recived Original Appeal
15/7/19